

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

29.1 केन्द्रीय शिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि के अनुरूप उद्योगों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने तथा उद्योगों की कुशल श्रम बल आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षु अधिनियम, 1961 पारित किया गया। अधिनियम में निर्धारित आवश्यक भूलभूत ढाँचे वाले सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के लिए अधिनियम के तहत शामिल किए गए 254 उद्योग समूहों में शिक्षुओं को कार्य पर लगाना आवश्यक है।

अधिनियम का कार्यान्वयन

29.2 केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों और विभागों में व्यवसाय शिक्षुओं के मामले में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भी रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तरदायी है। यह कार्य कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और फरीदाबाद में स्थित छः क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालयों के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रतिष्ठानों व विभागों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में व्यवसाय शिक्षुओं के मामले में अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु संबद्ध राज्यों के राज्य शिक्षुता सलाहकार उत्तरदायी हैं।

केन्द्रीय शिक्षुता परिषद्

29.3 यह शीर्ष संवैधानिक निकाय है। यह परिषद सरकार को शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए टी एस) के बारे में नीतियां बनाने तथा मानक व प्रतिमान के निर्धारण में सलाह देता है। केन्द्रीय श्रम मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष हैं।

व्यवसाय शिक्षुओं का प्रशिक्षण

29.4 अधिनियम के तहत शामिल 20,700 प्रतिष्ठानों में 2,32,745 सीटों के कोटे की तुलना में 153 व्यवसायों में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु कुल 1,62,221 प्रशिक्षण सीटों का उपयोग किया गया। उपयोग की गई 162221 सीटों में से अनु.जाति,

अनु.जन.जाति अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिलाओं को क्रमशः 20196, 7713,11383,1207 तथा 4138 सीटों में लगाया गया। 32 व्यवसाय समूहों में 153 व्यवसायों को नामादिष्ट किया गया है। शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु प्रवेश अर्हता 8 कक्षा से 12 वीं (10+2) कक्षा तक है। व्यवसाय के आधार पर प्रशिक्षण अवधि 6 माह से 4 वर्ष है। व्यवसायों की सूची रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की वेबसाईट www.dget.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् वर्ष में दो बार व्यवसाय शिक्षुओं हेतु अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा (एआईटीसी) आयोजित करती है। अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र सरकारी/अर्ध सरकारी विभागों/संगठनों के तहत रोजगार हेतु मान्यता प्राप्त है।

स्नातक तकनीशियन तथा तकनीशियन(व्यावसायिक) शिक्षुओं का प्रशिक्षण

29.5 स्नातक तथा तकनीशियन श्रेणी के शिक्षुओं हेतु 102 विषय क्षेत्र नामोदिष्ट किए गए हैं। तकनीशियन (व्यावसायिक) श्रेणी के शिक्षुओं हेतु 94 विषय क्षेत्र नामोदिष्ट किए गए हैं। अधिनियम के तहत शामिल किए गए 78461 सीटों के कोटे की तुलना में शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु कुल 43478 प्रशिक्षण सीटों का उपयोग गया। उपयोग की गई 43478 सीटों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, शारीरिक रूप से विकलांगों तथा महिलाओं को क्रमशः 3197, 370, 2378, 67 तथा 8810 सीटों पर लगाया गया।

वर्ष 2003-2004 के दौरान आरंभ किए गए प्रमुख कार्य-कलाप

- विकलांगों का प्रवेश सहज बनाने के लिए श्रवण विकलांगता (मूक व बधिर) से संबंधित 44 व्यवसायों, दृष्टि विकलांगता से संबंधित 63 व्यवसायों तथा अस्थि विकलांगता से संबंधित 40 व्यवसायों के शारीरिक मानदंडों को लचीला बनाया गया है।
- निजी क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठान जो अब तक शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, उन्हें शामिल किए जाने के लिए उनकी खोज हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। वर्ष के दौरान अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए 35379 नए प्रतिष्ठानों की खोज की गई। राज्य शिक्षुता सलाहकारों को सीटों की स्थिति और उनके उपयोग हेतु इन प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने की सलाह दी गई है।

- शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत् तीन व्यवसायों की पाठ्यचर्चा का संशोधन किया गया है। ये व्यवसाय हैं, रेफ्रीजरेशन एवं एयर-कडीशनिंग मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (कैमिकल प्लांट) तथा मैकेनिक मोटर वाहन।
- स्नातकों एवं तकनीशियन शिक्षुओं के लिए इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में मैटीरियल्स मैनेजमेंट विषय क्षेत्र नामोद्दिष्ट किया गया है।